



# छ.ग. प्रदेश कॅंवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कॅंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष  
श्री हरवंश सिंह मिरी  
98261-20342

महासचिव  
श्री नकुल चंद्रवंशी  
7987774020

कोषाध्यक्ष  
श्री वसंत दीवान  
7987171001

सह-सचिव  
श्रीमती धनेश्वरी कॅंवर  
9340081014  
श्री कुंज विहारी सिंह  
9408079188

उपाध्यक्ष - विलासपुर संभाग  
श्रीमती सविता माय  
9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग  
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह  
82239987733

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग  
श्री थान सिंह दीवान  
9926844847

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग  
श्री हरिप्रसाद पुजारी  
7587724850

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग  
श्री संदीप ठाकुर  
7697139328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य  
श्री महिपाल सिंह कॅंवर  
9425590727

श्री टीकाराम कॅंवर  
9425245181

श्री सनमान सिंह दीवान  
9575257715

श्री शिवनारायण सिंह  
7974588014

श्री धारन सिंह दीवान  
8085588897

श्री दशरथ पैकरा  
9424215887

श्री मनोज चंद्रवंशी  
8120790124

श्री राजकुमारी दीवान  
9893750702

श्री वृजराज पैकरा  
7697078806

श्री संदीप कुमार पैकरा  
9408388282

क्रमांक - क/छ.ग.कं.स.वि.स./2020

रायपुर, दिनांक 03/09/2020

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी  
छत्तीसगढ़ शासन

विषय:- कॅंवर आदिवासी समाज के पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कॅंवर के सुपुत्र श्री संदीप कॅंवर से मारपीट एवं गाली गलौच करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

\*\*\*\*

महोदय,


निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है जिसमें कॅंवर आदिवासी समाज गोंड जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन दुःख इस बात की है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य होने के बाद भी आदिवासी समाज के साथ में आये दिन किसी न किसी प्रकार की मारपीट एवं अन्य घटना हो रही है। विगत दिनों कॅंवर समाज के वर्तमान विधायक रामपुर जिला कोरबा एवं पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कॅंवर के सुपुत्र श्री संदीप कॅंवर के साथ श्री देवेन्द्र पाण्डेय पिता श्री काशीनाथ पाण्डेय एवं शुभम पाण्डेय पिता देवेन्द्र पाण्डेय निवासी कोरबा के द्वारा बंधक बनाकर जातिगत शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की गई। जिस संबंध में श्री संदीप कॅंवर द्वारा थाना प्रभारी आजाद थाना कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा को दिनांक 27/08/2020 को लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निवेदन किया है, जिस पर संज्ञान में आया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदकगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण पूरा कॅंवर समाज में नाराजगी एवं असंतोष व्याप्त है।


अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन पत्र पर संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

सादर धन्यवाद!

संलग्न:-

प्रार्थी श्री संदीप कॅंवर द्वारा थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति।

  
(नकुल चंद्रवंशी)  
महासचिव

  
(हरवंश सिंह मिरी)  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



# छ.ग. प्रदेश कंवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष  
श्री हरवंश सिंह मिरी  
98281-20342

महासचिव  
श्री नकुल चंद्रवंशी  
7987774020

कोषाध्यक्ष  
श्री व्यंजत दीवान  
7987171001

सह-सचिव  
श्रीमती धनेश्वरी कंवर  
9340081014  
श्री कुंज विहारी सिंह  
9408079188

उपाध्यक्ष - विलासपुर संभाग  
श्रीमती सविता साय  
9328444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग  
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह  
82239987733

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग  
श्री थान सिंह दीवान  
9828844847

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग  
श्री हरिराम पुजारी  
7987724850

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग  
श्री संदीप ठाकुर  
7997138328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य  
श्री महिपाल सिंह कंवर  
9425590727

श्री टीकाराम कंवर  
9425245181

श्री सनमान सिंह दीवान  
9576257715

श्री शिवनारायण सिंह  
7974588014

श्री भारत सिंह दीवान  
8085588897

श्री दशरथ पैकरा  
9424215887

श्री मनोज चंद्रवंशी  
8120780124

सुश्री राजकुमारी दीवान  
9893750702

श्री वृजराज पैकरा  
7897078808

श्री संदीप कुमार पैकरा  
8408388282

क्रमांक - क/छ.ग.कं.स.वि.स./2020

रायपुर, दिनांक 03/09/2020

प्रति,

माननीय गृह मंत्री जी  
छत्तीसगढ़ शासन

विषय:- कंवर आदिवासी समाज के पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कंवर के सुपुत्र श्री संदीप कंवर से मारपीट एवं गाली गलौच करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

\*\*\*\*


महोदय,


निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है जिसमें कंवर आदिवासी समाज गोंड जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन दुःख इस बात की है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य होने के बाद भी आदिवासी समाज के साथ में आये दिन किसी न किसी प्रकार की मारपीट एवं अन्य घटना हो रही है। विगत दिनों कंवर समाज के वर्तमान विधायक रामपुर जिला कोरबा एवं पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कंवर के सुपुत्र श्री संदीप कंवर के साथ श्री देवेन्द्र पाण्डेय पिता श्री काशीनाथ पाण्डेय एवं शुभम पाण्डेय पिता देवेन्द्र पाण्डेय निवासी कोरबा के द्वारा बंधक बनाकर जातिगत शब्दों कर प्रयोग कर मारपीट की गई। जिस संबंध में श्री संदीप कंवर द्वारा थाना प्रभारी आजाद थाना कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा को दिनांक 27/08/2020 को लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निवेदन किया है, जिस पर संज्ञान में आया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदकगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण पूरा कंवर समाज में नाराजगी एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन पत्र पर संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। सादर धन्यवाद!

संलग्न:-

प्रार्थी श्री संदीप कंवर द्वारा थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति।

  
(नकुल चंद्रवंशी)  
महासचिव

  
(हरवंश सिंह मिरी)  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



# छ.ग. प्रदेश कँवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कँवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष  
श्री हरवंश सिंह मिरी  
98291-20342

महासचिव  
श्री नकुल चंद्रवंशी  
7987774020

कोषाध्यक्ष  
श्री वसंत दीवान  
7987171001

सह-सचिव  
श्रीमती धनेश्वरी कँवर  
9340081014  
श्री कुंज विहारी सिंह  
9408079188

उपाध्यक्ष - बिलासपुर संभाग  
श्रीमती मयिता साय  
9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग  
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह  
82239987733

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग  
श्री थान सिंह दीवान  
9828844647

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग  
श्री हरिराम पुजरी  
7587724850

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग  
डॉ. संदीप ठाकुर  
7897138328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य  
श्री महिपाल सिंह कँवर  
9425590727

श्री टीकाराम कँवर  
9425245181

श्री सनमान सिंह दीवान  
9575257715

श्री शिवनारायण सिंह  
7974588014

श्री भारत सिंह दीवान  
8085588887

श्री दशरथ पैकरा  
9424215887

श्री मनोत्र चंद्रवंशी  
8120790124

श्री राजकुमारी दीवान  
9893750702

श्री वृन्तराम पैकरा  
7897078808

श्री संदीप कुमार पैकरा  
9408388282

क्रमांक - क/छ.ग.कं.स.वि.स./2020  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/09/2020

पुलिस महानिदेशक  
छत्तीसगढ़ शासन  
पुलिस मुख्यालय,  
नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:- कँवर आदिवासी समाज के पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कँवर के सुपुत्र श्री संदीप कँवर से मारपीट एवं गाली गलौच करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

\*\*\*\*

महोदय,

निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है जिसमें कँवर आदिवासी समाज गोंड जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन दुःख इस बात की है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य होने के बाद भी आदिवासी समाज के साथ में आये दिन किसी न किसी प्रकार की मारपीट एवं अन्य घटना हो रही है। विगत दिनों कँवर समाज के वर्तमान विधायक रामपुर जिला कोरबा एवं पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कँवर के सुपुत्र श्री संदीप कँवर के साथ श्री देवेन्द्र पाण्डेय पिता श्री काशीनाथ पाण्डेय एवं शुभम पाण्डेय पिता देवेन्द्र पाण्डेय निवासी कोरबा के द्वारा बंधक बनाकर जातिगत शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की गई। जिस संबंध में श्री संदीप कँवर द्वारा थाना प्रभारी आजाद थाना कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा को दिनांक 27/08/2020 को लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निवेदन किया है, जिस पर संज्ञान में आया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदकगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है; जिसके कारण पूरा कँवर समाज में नाराजगी एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन पत्र पर संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

सादर धन्यवाद!

संलग्न:-

प्रार्थी श्री संदीप कँवर द्वारा थाना प्रभारी एवं  
पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति।

(नकुल चंद्रवंशी)  
महासचिव

(हरवंश सिंह मिरी)  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रति,

पुलिस अधिक्षक  
जिला- कोरबा, कोरबा

विषय :- जातिगत गाली-गलौच करते हुए मुझे बंधक बनाकर मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने बाबत ।

महोदय ,

मैं संदीप कुमार कंवर पिता श्री ननकीराम कंवर उम्र 50 वर्ष , निवासी रानीरोड , धनुहारपारा कोरबा थाना-कोतवाली कोरबा में रहता हूं । तथा जिला पंचायत कोरबा क्षेत्र क्रमांक- 01 से सदस्य हूं । मैं जान-पहचान होने के कारण सृष्टि नामक संस्था में आजीवन सदस्यता के लिए बीस लाख रूपए देवेन्द्र पाण्डेय को दिया था । लेकिन ना तो देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मुझे सदस्य बनाया गया ना ही मेरा पैसा लौटाया गया है । इस पैसे की मांग मैं कई बार देवेन्द्र पाण्डेय से कर चुका हूं , लेकिन हमेशा देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पैसे देने के नाम पर टाल-मटोल किया जाता है । इसप्रकार सदस्य बनाने के नाम पर मेरे साथ धोखा-धड़ी किया गया है । ऐसे ही कई लोगों से संस्था में सदस्य बनाने के नाम पर पैसा लिया और सदस्य ना बना कर ठगी किया गया है । इस तरह से सृष्टि इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साईंस एण्ड रिसर्च सेंटर , रजगामार रोड , रिस्दी कोरबा को अपना निजी सम्पत्ति समझता है । मेरे उक्त पैसे की मांग को लेकर मैं दिनांक 26.08.2020 को शाम 07:30 बजे महाराणा प्रताप नगर स्थित देवेन्द्र पाण्डेय के घर विश्वनाथ यादव के साथ गया था । देवेन्द्र पाण्डेय व उसके पुत्र शिवम पाण्डेय द्वारा विश्वनाथ यादव को घर के बाहर धकेल दिया गया और मुझे कालर पकड़कर घर के अंदर खींचकर घर के अंदर लेकर गए और दरवाजा अंदर से बंद करके मुझे बंधक बनाया गया तथा देवेन्द्र पाण्डेय और शिवम पाण्डेय द्वारा गालीगलौच करते हुए बोला गया कि तु साले आदिवासी नीच आदमी , तेरी इतनी औकात कि मेरे घर आकर मुझसे पैसा मांगेगा । इतना कहते हुए लात-घुसे से मेरे साथ मार-पीट किया गया और आगे पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया गया । विश्वनाथ यादव द्वारा किसी प्रकार से मेरे पिता श्री ननकीराम कंवर विधायक - रामपुर को मुझे बंधक बनाए जाने की सुचना दिया , जिसपर मेरे पिता द्वारा पुलिस को सुचना दिया गया इसके उपरांत पुलिस द्वारा मुझे देवेन्द्र पाण्डेय के कब्जे से छुड़ा कर रामपुर उप-थाना लाया गया । रामपुर उपथाना व अजाक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु सुचना दिया गया है । पुर्व में भी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा अज्ञात हमलावरों से मेरे उपर हमला करवाया गया था । जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पुर्व में थाना - कोतवाली मे किया गया था । प्रति संलग्न । इसप्रकार मुझे देवेन्द्र पाण्डेय से हमेशा जान को खतरा रहता है । देवेन्द्र द्वारा आगे भी मुझपर जानलेवा हमला करवाया जा सकता है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि देवेन्द्र पाण्डेय व उसके पुत्र शिवम पाण्डेय के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्न :-

1. जति प्रमाण पत्र की प्रति ।
2. बैंक स्टेटमेंट की प्रति ।
3. पुर्व में किए गए शिकायत की प्रति ।

  
प्रार्थी :-

संदीप कुमार कंवर

पिता :- श्री ननकी राम कंवर

निवासी:- रानी रोड , धनुहारपारा कोरबा

मोबाईल न. - 9425531088



प्रति,

थाना प्रभारी  
अजाक थाना, कोरबा

विषय :- जातिगत गाली-गलौच करते हुए मुझे बंधक बनाकर मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने बावत ।

महोदय,

मैं संदीप कुमार कंवर पिता श्री ननकीराम कंवर उम्र 50 वर्ष, निवासी रानीरोड, धनुहारपारा कोरबा थाना-कोतवाली कोरबा में रहता हूँ। तथा जिला पंचायत कोरबा क्षेत्र क्रमांक- 01 से सदस्य हूँ। मैं जान-पहचान होने के कारण सृष्टि नामक संस्था में आजीवन सदस्यता के लिए बीस लाख रूपए देवेन्द्र पाण्डेय को दिया था। लेकिन ना तो देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मुझे सदस्य बनाया गया ना ही मेरा पैसा लौटाया गया है। इस पैसे की मांग में कई बार देवेन्द्र पाण्डेय से कर चुका हूँ, लेकिन हमेशा देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पैसे देने के नाम पर टाल-मटोल किया जाता है। इसप्रकार सदस्य बनाने के नाम पर मेरे साथ धोखा-धड़ी किया गया है। ऐसे ही कई लोगों से संस्था में सदस्य बनाने के नाम पर पैसा लिया और सदस्य ना बना कर ठगी किया गया है। इस तरह से सृष्टि इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, रजगामार रोड, रिसदी कोरबा को अपना निजी सम्पत्ति समझता है। मेरे उक्त पैसे की मांग को लेकर मैं दिनांक 26.08.2020 को शाम 07:30 बजे महाराणा प्रताप नगर स्थित देवेन्द्र पाण्डेय के घर विश्वनाथ यादव के साथ गया था। देवेन्द्र पाण्डेय व उसके पुत्र शिवम पाण्डेय द्वारा विश्वनाथ यादव को घर के बाहर धकेल दिया गया और मुझे कालर पकड़कर घर के अंदर खींचकर घर के अंदर लेकर गए और दरवाजा अंदर से बंद करके मुझे बंधक बनाया गया तथा देवेन्द्र पाण्डेय और शिवम पाण्डेय द्वारा गालीगलौच करते हुए बोला गया कि तु सात आदिवासी नीच आदमी, तेरी इतनी औकात कि मेरे घर आकर मुझसे पैसा मांगेगा। इतना कहते हुए लात-धुरे से मेरे साथ मार-पीट किया गया और आगे पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया गया। विश्वनाथ यादव द्वारा किसी प्रकार से मेरे पिता श्री ननकीराम कंवर विधायक - रामपुर को मुझे बंधक बनाए जाने की सुचना दिया जिसपर मेरोपेता द्वारा पुलिस को सुचना दिया गया इसके उपरांत पुलिस द्वारा मुझे देवेन्द्र पाण्डेय के कब्जे से छुड़ा कर रामपुर उप-थाना लाया गया। पुर्व में भी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा अज्ञात हमलावरों से मेरे उपर हमला करवाया गया था। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पुर्व में थाना - कोतवाली में किया गया था। प्रति संलग्न। इसप्रकार मुझे देवेन्द्र पाण्डेय व हमेशा जान को खतरा रहता है। देवेन्द्र द्वारा आगे भी मुझपर जानलेवा हमला करवाया जा सकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि देवेन्द्र पाण्डेय व उसके पुत्र शिवम पाण्डेय के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सबंध में आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :-

1. जाति प्रमाण पत्र का प्रॉते ।
2. बैंक स्टेटमेंट की प्रति ।
3. पुर्व में किए गए शिकायत की प्रति।



प्रार्थी 

संदीप कुमार कंवर

पिता :- श्री ननकी राम कंवर

निवासी:- रानी रोड, धनुहारपारा कोरबा

मोबाईल न. - 9425531088